पत्रांक 4055 आयु0क0उत्तस0 /वा0कर/कम्प्यूटर अनु0/2011–12/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर,
(कम्प्यूटर अनुभाग)
उत्तराखण्ड देहरादून।
दिनांकः देहरादून 22 अक्टूबर 2011

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर खण्ड
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

–परिपत्र–

(वित्तीय वर्ष 2011–12 के द्वितीय त्रैमास के रूपपत्रों की प्राप्ति के सम्बन्ध में निर्देश)

(क) मैनुवल दखिल किये जाने योग्य रूपपत्र –

इन रूपपत्रों को प्राप्त करने के लिए वही प्रकिया अपनायी जायेगी जो मुख्यालय के परिपत्र सं0 1487/विधि अनु0/दिनांक 11 जुलाई 2011 के द्वारा वर्ष 2011–12 के प्रथम त्रैमास के रूपपत्रों के लिए निर्धारित की गयी थी।

(ख) आन–लाईन सबमिट (दाखिल) किये जाने योग्य रूपपत्र–

1. आन–लाईन सबमिट किये जाने वाले रूपपत्रों के लिए वैट नियमावली के नियम–11 में प्रावधान है कि रूपपत्र के आन–लाईन सबमिट किये जाने के साथ–साथ ऐसे रूपपत्र की हस्ताक्षरित हार्ड कौपी इलैक्ट्रानिकली जनरेटेड "Acknowledgement" तथा कर एवं अन्य देयों के भुगतान के प्रमाण की प्रतियों के साथ सम्बंधित कार्यालय में दाखिल की जायेगी।

2. ऐसे रूपपत्रों को कार्यालय में दाखिल कराते समय परिपत्र दिनांक 11 जुलाई 2011 का बिन्दु संख्या–3, 4 तथा 6 लागू नहीं होगा। ऐसे रूपपत्र को R-01 (रूपपत्र प्राप्ति रजिस्टर) में दर्ज तो किया जायेगा परन्तु **इसके "Acknowledgement" को कम्प्यूटर में फीड नहीं किया जायेगा।** ऐसे रूपपत्रों के इन्द्राज के सामने रजिस्टर के कालम–6 में केवल 'online' लिख दिया जायेगा।

3. रूपपत्र आन लाईन दाखिल किया गया है इस तथ्य को उसके "acknowledgement" से पहचाना जा सकता है। आन लाईन दाखिल किये गये रूपपत्र के कम्प्यूटर जनरेटेड "Acknowledgement" के बिन्दु संख्या 01 में 15 digits का Serial No. of Acknowledgment तथा बिन्दु संख्या 02 में date of acknowledgement कम्प्यूटर प्रिंटिंग में पूर्व अंकित होता है। साथ ही ऐसे "Acknowledgement" के नीचे बांये हाथ पर एक बार–कोड अंकित होता है जिसके नीचे बहुत छोटे अक्षरो में Serial No. of Acknowledgment अंकित होता है।

4. कम्प्यूटर जनरेटेड "Acknowledgement" में नीचे बांये तरफ List of Enclosures शीर्षक के अन्तर्गत वे Annexure (उपाबन्ध) अंकित होते है जिनकी प्रतियां व्यापारी को दाखिल करनी है। अतः कार्यालय को केवल यह सुनिश्चित करना है कि "Acknowledgement" में अंकित अनुलग्नक की हार्ड–कापी दखिल हो जाये।

(डॉ0 हेमलता ढौंडियाल)
आयुक्त कर
उत्तराखंड

589
24/10/11
आ.प्रा. (प्रचद्ध)/खाताधारी
आवश्यक कार्यवाही करें

डिप्टी कमि.(क.नि.)-6
वाणिज्य कर,देहरादून

पत्रांक 4(07)/ आयु0क0उत्तरा0 / वा0कर / कम्प्यूटर अनु0 / 2011–12 / दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर,
(कम्प्यूटर अनुभाग)
उत्तराखण्ड देहरादून।
दिनांकः देहरादून 22 अक्टूबर 2011

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर खण्ड
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

DC-6

–परिपत्र–

(वर्ष 2011–12 के द्वितीय त्रैमास के रुपपत्र के सम्बन्ध में)

व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा अधिवक्ताओं द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि माह अक्टूबर में त्यौहारों के अवकाश के कारण वित्तीय वर्ष 2011–12 के द्वितीय त्रैमास के रुपपत्रों को वैट नियमावली में निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 25–10–2011 दाखिल करने में व्यवहारिक कठिनाई आ रही है तथा उन्हें इसे दाखिल करने के लिये और अधिक समय की आवश्यकता है।

रुपपत्रों को निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद दाखिल करने हेतु समय देने का विवेकाधिकार कर निर्धारण अधिकारियों के पास है। पूरे राज्य में अधिकारियों के स्तर से समय देने के निर्णय में एकरुपता बनाये रखने के उद्देश्य से निर्देशित किया जाता है कि यदि रुपपत्र दाखिल करने के लिये अतिरिक्त समय की मांग की जाती है तो दिनांक 31–10–2011 तक का समय दे दिया जाये तथा समय देने हेतु उदारतापूर्वक निर्णय लिया जाये।

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
आयुक्त कर,
उत्तराखंड

पृ0प0सं0 / दिनांक उक्त
प्रतिलिपि – निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. एडिशनल कमिशनर वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून / कुमायूं जोन, रूद्रपुर।
2. एडिशनल कमिशनर(आडिट) / (प्रर्वतन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
3. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर दे0दून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों / व्यापार एवं उद्योग संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने के कष्ट करें।
4. ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून / हल्द्वानी ।
5. ज्वाइंट कमिश्नर(वि0अनु0शा0 / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार / रूद्रपुर।

591
24/10/11
आवश्यक कार्यवाही करें

डिप्टी कमि.(क.नि.)–6
वाणिज्य कर, देहरादून

6. वरिष्ठ तकनीकि निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
7. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन करके व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
8. इन्टावैट ईन्फो प्रा0लि074, फेयरी मेनर द्वितीय फलोर 13, आर0 सिधुआ मार्ग मुम्बइ–400001।
9. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद।
10. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर गाजियाबाद।
11. डिप्टी कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य0) वाणिज्य कर नैनीताल ।
12. स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई–233, शासत्री नगर, गाजियाबाद–201002।
13. लॉबुक ट्रेडर्स 10 नगर निगम कम्पाउण्ड केसर गंज रोड़ मेरठ ।
14. अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसेसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड C/o सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
15. दी होलसेल डीलर्स एसो0 14, आढ़त बाजार देहरादून।
16. प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसों0 222/5 गॉधी ग्राम, देहरादून।
17. प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय क्वालिटी हार्डवेयर गॉधी रोड़ देहरादून।
18. श्री विपिन नागलिया दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल नागलिया आटो मो0 त्यागी रोड़ देहरादून।
19. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु ।
20. विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु ।
21. शोध–अनुभाग/कम्प्यूटर–अनुभाग, मुख्यालय हेतु ।
22. वैब इन्फार्मेशन आफिसर (श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर रेंज–6 देहरादून)।

/

आयुक्त कर
उत्तराखण्ड।

* To grant additional time for filing of second quarter returns on request

360 Sec lett.

9-2-0

पत्रांक आयु0क0उत्तस0 /वा0कर/कम्प्यूटर अनु0/2011–12/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर,
(कम्प्यूटर अनुभाग)
उत्तराखण्ड देहरादून।
दिनांकः देहरादून 22 अक्टूबर 2011

–विज्ञप्ति–

(1) शासन की विज्ञप्ति संख्या–557,दिनांक 31दिसम्बर,2010 के द्वारा लागू उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर (संशोधन)नियम, 2010 के नियम 11 में विभागीय वेबसाईट पर ऑन लाइन साविधिक विवरणी दाखिल करने के सम्बन्ध में प्राविधान है कि व्यापारी द्वारा ऑन लाइन दाखिल किए जाने वाले रुपपत्रों की सम्यक् रुप से हस्ताक्षरित हार्डकॉपी एवं एक्नालेजमेन्ट तथा कर अथवा अन्य देय के भुगतान के प्रमाण की प्रति निर्धारित अवधि तक सम्बन्धित कार्यालय में दाखिल की जाएगी। उक्त सम्बन्ध में व्यापारियों ,उद्योगपतियों,अधिवक्ताओं द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि जिस दिन साविधिक विवरणी ऑन लाइन सबमिट की जाती है, उसी दिन व्यक्तिगत रुप से कार्यालय जाकर साविधिक विवरणी तथा अन्य कागजात की हार्डकापी दाखिल करना सम्भव नही होता है।यह समस्या उस दशा में और कठिन हो जाती है जब साविधिक विवरणी निर्धारित अन्तिम तिथि को आनलाईन सबमिट की जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सम्यक् आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया ।

उक्त समस्या के समाधान के लिए आदेशित किया जाता है कि ऑन लाइन सबमिट किए जाने की दशा में यदि साविधिक विवरणी की हार्डकॉपी (निर्धारित उपाबन्धो (annexures) सहित), इलैक्ट्रोनिकली जनरेटेड एक्नालेजमेन्ट तथा अन्य देय के जमा के प्रमाण के साथ, विवरणी दाखिल करने के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि के पॉच दिनों के अन्दर कार्यालय में दाखिल कर दी जाय तो उसे स्वीकार कर लिया जाए और ऐसे मामलों में साविधिक विवरणी दाखिल करने की विधिक तिथि वही मानी जाय जिस दिन साविधिक विवरणी आन लाइन सबमिट की गई। ऐसे मामलों में इस कारण से कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कोई प्रतिकूल दृष्टिकोण नही अपनाया जाएगा।

(2) वैट नियमावली में निर्धारित विभिन्न साविधिक विवरणियों के उपाबन्ध (annexure) को ऑन लाईन submit करने की व्यवस्था अभी Process में है। अतः इस व्यवस्था के लागू होने तक जो साविधिक विवरणी ऑनलाईन submit की जायेगी, उनके वांछित उपाबन्ध (annexure) ऑनलाईन से भिन्न विधि से तैयार की गयी प्रतियां दाखिल की जायेगी।

आ.प्रा. (प्रथम)/ खाताधारी आवश्यक कार्यवाही करें

डिप्टी कमि.(क.नि.)–6
वाणिज्य कर,देहरादून

586
24/10/11

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
आयुक्त कर,
उत्तराखंड

पृ0प0सं0 4054/ दिनांक उक्त

प्रतिलिपि -- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. एडिशनल कमिशनर वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायूं जोन, रूद्रपुर।

..2